

4-6-16-

पञ्जाबी राजस्व लोक कदालन केय करगा. पर पेशा इरे।
 तहसीलदार मोडल के विभाजन स्कीम प्राल इरे। जिसे
 शामिल पञ्जाबी भी गयी। प्राल विभाजन स्कीम पर
 पञ्जाबी वादी ने बहक करनी चली। पञ्जाबी वादी भी
 बहक कुनी गयी। बहक के दोकार पञ्जाबी वादी ने वाड
 पड में देखा। तहसील इस्तफेजे के सचदार पर वाड पर
 दो विभाजन स्कीम इडकार स्वीकार सिधे जाके भी इस्तफा गयी।
 मैने पञ्जाबी का इस्तफा सिमा. तथा प्राल विभाजन
 स्कीम भी बहक पर मनन सिमा गया। न्याय सिमा के
 प्राल विभाजन स्कीम के इडकार वादी का वाड पर
 स्वीकार सिमा जाके डिडुी बहक वादी सिस्ड प्रतिवादी
 क. 192 के इरु तहसील भी जारी भी जारी है।

सि जाके इस्तफा पत्वार एतल इस्तफा. तहसील
 मोडल में सिमा हाल सिमागोसिल द्वारा सिमा का
 विभाजन इडकार जारी वादी एवं प्रतिवादी क. 192
 के गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज सिधे जाके का तहसील
 सिमा जाके है। इन्ही इडकार जारी वादी एवं प्रतिवादी
 क. 192 के गत राजस्व रेकार्ड में सिधे इडकार इरु
 दर्ज भी जाके।

1. श्री शेखर 510 रेवेमा भाली, उरु बालिग सिवासी इस्तफा
 तहसील मोडल जिला जीलवाड। वादी के गत सिस्ड जारी
 सिस्ड इडकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज भी जाके।
 द्वारा जारी कर

421/3	—	13 सिमा	—
कुल सिमा। 2 कर	—	13 सिमा	उरु गत

2. एन. देविप्रियन्तल बिरु हाफ जामरु. शारका पोरुल से
 एत दर्ज रहेगा।

(देवी सिंह)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

३ श्री रायू 510 खेसा भाली, इय कालिग निवासी नमर 106
 तहकीम मोडल जिला श्रीलपाडा, प्राविवादी नं. 1 के नाम
 निम्न शर्तों हिरकें हुकूम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज श्री जज,
 डारालीग 2861 लगान
 421/2 - 12 बिस्वा
 कुल जितना 1 2861 - 12 बिस्वा लगान

शर्तः कोरिमन्चम बैंक में कौमक शारवा-जोप 11
 में मही हिरका रहेगा।

इहनाउकार शर्त वादी एवं प्राविवादी नं. 1 के
 नाम हिरकें हुकूम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज श्री जज
 खर्चा फनीकेन रूपन-रूपन वहन करे। तहउकार हिरकी
 जावी हो मजाली के नाम शुमार श्री जाहद 12 बिस्वा
 सारकी है।

(देवी सिंह)
 पीलासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पठेण सहायक कलकटा मण्डल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट—अमरगढ़ तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:- श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-252/2013 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री शंकर पिता खेमा माली, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादी

बनाम

1-श्री राजू पिता खेमा माली, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-श्री पोखर पिता नंदा माली, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान)

3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)


-----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से — एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या 1
से 2 की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज
दिनांक 4.6.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों
प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष
की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र
स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के इस
आशय की जारी की जाती है कि ग्राम अमरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में
स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2
के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि
वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1-श्री शंकर पिता खेमा माली, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान) वादी के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की
जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
421/3	— 13 बिस्वा	—
-----	-----	-----
कुल किता 1 रकबा	— 13 बिस्वा	लगान —
-----	-----	-----



(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर माण्डल

2-श्री राजू पिता खेमा माली, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
421/2	- 12 बिस्वा	-
कुल किता 1	रकबा - 12 बिस्वा	लगान -

रहन:- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा-पांसल तहसील भीलवाड़ा के यहाँ हिस्सा रहेगा।

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।


(~~देवीसिंह~~ रावत)


पीठास अमर० ए० एस०

उपखण्ड अधिकारी,

~~पदेन~~ सांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 4.6.2016 हस्ताक्षर एवं न्यायालय की भौडर से जारी

की गयी


उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल